प्रकरण संख्या 20/2017 बाबू बनाम चमना

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.01.2020 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार ग्राम पाटी में वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित भूमियां स्थित हैं, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदार श्रीमती शामु बेवा कोदरिया की मृत्यु हो चुकी है, जिसके हिस्से की भूमि का एक मात्र वारिस वादी है एवं इसी प्रकार अन्य सहखातेदार हकरिया जो की कुंवारा चुका है, उसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 हैं। भूमियां शामलाती होने से वादी को बैंक ऋण आदि में असुविधा होती है। अतः उपरोक्तानुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाकर पक्षकारों के मध्य जरिये कमिश्नर विभाजन किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 04.07.2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.0.5.2017 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।<br><br>वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिस पर मनन करने पर हमने पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी को कैम्प में उपस्थित होने की कोई सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। तदनुसार दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन | |

प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर (राज.)

स्वीकार कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जिससे वह मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 14.06.2016 को रखा गया, किन्तु बिना वादी को सूचना दिये उक्त दिनांक के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 04.07.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना उसे सुने वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.17 14:19:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: